

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06032020-216544 CG-DL-W-06032020-216544

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 08] नई दिल्ली, फरवरी 23—फरवरी 29, 2020, शनिवार / फाल्गुन 4—फाल्गुन 10,1941 No. 08| NEW DELHI, FEBRUARY 23—FEBRUARY 29, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 4—PHALGUNA 10, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सा.का.नि.38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयों में प्रशासनिक अधिकारी, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, प्रशासनिक अधिकारी (समूह -ख पद) भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है: या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परिवर्तन किया जा सकता है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची वेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन या अचयन पद पद का नाम पद संख्या वर्गीकरण (2)(3)(4)(5)(1)प्रशासनिक चयन साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' 07* (2020) स्तर.7 अधिकारी *कार्यभार के आधार पर राजपत्रित, अनुसचिवीय (44900-142400/-v.)

| सीधे भर्ती किए जाने | सीधे भर्ती किए जाने | सीधे भर्ती किए जाने वाले | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या |
|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| वाले व्यक्तियों के लिए | वाले व्यक्तियों के लिए | व्यक्तियों के लिए विहित आयु | यदि कोई हो | प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या |
| आय्-सीमा | अपेक्षित शैक्षिक और | और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत | | आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों |
| | अन्य अर्हताएं | व्यक्तियों की दशा में लागू | | द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की |
| | | होंगी या नहीं | | प्रतिशतता |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

| | लागू नहीं होता | लागू नहीं | | लागू नहीं हो | | प्रोन्नति द्वारा | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------|
| प्रोन्नति या प्रतिनियु | क्ति या आमेलन द्वारा | यदि विभागीय प्र | प्रोन्नति समिति | है, तो उसकी संर | चना | भर्ती करने | में | किन |
| भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या | | | | | | परिस्थितियों | में संघ | । लोक |
| प्रतिनियुक्ति या आमेल | प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | | | | | सेवा आयोग | से प | रामर्श |
| | | | | | | किया जाएगा | | |
| (: | 11) | | | (12) | | (13 | 3) | |
| प्रोन्नतिः | | समूह 'ख' विभा | गीय प्रोन्नति स | मिति (प्रोन्नति | पर विचार करने के | लागू नही | होता | I |
| सहायक जिन्होने वेत | न मैट्रिक्स में स्तर 6 | लिए) जिसमें नि | म्नलिखित होंगे | :- | | | | |
| (35400-112400/- | · रु.) में नियमित | 1. निदेशक, कें | द्रीय न्यायालि | प्रेक विज्ञान प्रयोग | ाशाला, | | | |
| आधार पर नियुक्ति वे | क पश्चात् पाँच वर्ष की | न्यायालयि | क विज्ञान सेवा | निदेशालय - | अध्यक्ष; | | | |
| सेवा की है तथा संबं | धित क्षेत्र में, सचिवालय | 2. उप-निदेश | क, केंद्रीय न्याय | ालयिक विज्ञान प | प्रयोगशाला, | | | |
| प्रशिक्षण तथा प्रबंध | संस्थान द्वारा संचालित | न्यायालयि | क विज्ञान सेवा | निदेशालय - | सदस्य; | | | |
| 2-4 सप्ताह का प्रशि | क्षण सफलतापूर्वक पूरी | 3. भारत सरव | कार गृह मंत्रालय | प्रका <mark>एक अधिक</mark> | ारी | | | |
| की है । | | जो भारत स | सरकार के अवर | सचिव की पंक्ति | | | | |
| टिप्पण: जहाँ ऐसे व | निष्ठ व्यक्तियों के संबंध | से नीचे ना | हो | - सदस्य। | | | | |
| में, जिन्होंने अपनी अह | ईक या पात्रता सेवा पूरी | | | | | | | |
| कर ली है, प्रोन्नति के | लिए विचार किया जा | | | | | | | |
| रहा हों, वहां उनके ज्ये | पेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में | | | | | | | |
| भी विचार किया जा | एगा परंतु यह तब जब | | | | | | | |
| कि उसके द्वारा की गई | ई ऐसी अर्हक या पात्रता | | | | | | | |
| सेवा, अपेक्षित अर्हक | या पात्रता सेवा के आधे | | | | | | | |
| से अधिक से या दो वर्ष | िसे, इनमें से जो भी कम | | | | | | | |
| हो, कम न हो और उ | न्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ | | | | | | | |
| व्यक्तियों महित, जि | न्होने ऐसी अर्हक या | | | | | | | |
| पात्रता सेवा पहले ही | पूरी कर ली है, अगली | | | | | | | |
| उच्चतर श्रेणी में प्रो | न्नति के लिए अपनी | | | | | | | |
| परिवीक्षा की अवधि | सफलतापूर्वक पूरी कर | | | | | | | |
| ली हो । | | | | | | | | |

[फा.सं. डीएफएसएस/38(02)/2013] नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 24th February, 2020

G.S.R.38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Ministerial (Group B) Posts Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the post of Section Officer/Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Administrative Officer (Group B post) in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services Administrative Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the
 level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these
 rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| | | SCHEDULL | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--|--|
| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Administrative Officer | 07* (2020) *Subject to variation dependent on workload | Group 'B', Gaze | rvice Level 7. (tted, (Rs. 44900-142400/-) | Selection | |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | educational qualifications | probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable ' | Not applicable | By promotion |

| In case of recruitment by | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its | Circumstances in |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| promotion or deputation / | composition | which Union |
| absorption grades from which | Composition | Public Commission |
| promotion or deputation/ | | to be consulted in |
| absorption to be made | | making recruitment |
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for | Not applicable. |
| Assistants in level 6 of the pay | considering promotion) consisting of:- | |
| matrix (Rs. 35400-112400/-) | 1. Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of | |
| | Forensic Science Services — Chairman; | |
| with five years of regular | 2. Dy. Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate | |
| service in the grade rendered | of Forensic Science Services – Member; | |
| after appointment thereto on | 3. An Officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank | |
| regular basis and having | of Under Secretary to the Government of India — Member. | |
| successfully completed 2-4 | of Under Secretary to the Government of India — Member. | |
| weeks training in the relevant | | |
| area in Institute of Secretariat | | |
| Training and Management. | | |
| Note: | | |
| Where juniors who have | | |
| completed their qualifying or | | |
| eligibility service are being | | |
| considered for promotion, their | | |
| seniors would also be | | |
| considered provided they are not | | |
| short of the requisite qualifying | | |
| or eligibility service by more | | |
| than half of such qualifying or | | |
| eligibility service or two years, | | |
| whichever is less and have | | |

| C 11 | |
|------------------------------------|--|
| successfully completed their | |
| probation period for promotion | |
| to the next higher grade along | |
| with their juniors who have | |
| already completed such | |
| qualifying or eligibility service. | |

[F. No. DFSS/38(2)/2013]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

सा.का.िन.39.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियम, 2010, का इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व, िकए गए कार्य या छोड़े गए, िकए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपित एतदद्वारा भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, अवर श्रेणी लिपिक/टंककों के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय, अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियम, 2020 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न उल्लिखित अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अन्युची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।